

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

तारीख रजू 16.5.2017

प्रा.पत्र. (रैफ.) संख्या 15/17

RCMS NO. 2017/00247

बउनवानी:- सरकार जरिये तहसीलदार बौली

बनाम

1. घनश्याम पुत्र गणपत महाजन निवासी गंगवाडा तह0बौली जिला स0मा0 (मृतक)
- 1/1. जयकुमार पुत्र घनश्याम महाजन निवासी गंगवाडा तह. बौली जिला,स0मा0
- 1/2. रामगोपाल पुत्र घनश्याम महाजन नि0 गंगवाडा तह. बौली जिला,स0मा0

(रैफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88(2), राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956)

उपस्थित:- 1. श्री महावीर चौधरी

2. श्री कमलेश कुमार जैन

पैरोकार राजस्व
वकील अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/2

-: निर्णय :-

दिनांक 11.3.2020

यह रेफ.प्रार्थना पत्र तहसीलदार बौली ने डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 की पालना में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 88(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम गंगवाडा तहसील बौली की आराजी ख0न0 24 रकबा 4 बीघा 03 बिस्वा किस्म गै0मु0 तलाई के रूप में जमाबन्दी सम्वत् 2009 से 2023 में अभिलिखित थी तथा भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 16 में वर्णित वर्ग की श्रेणी में आने के कारण इस भूमि पर कभी भी खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते हैं तथा यह भूमि काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 16 एवं राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम,1970 के नियम 4(1) के अन्तर्गत आवंटन/नियमन के योग्य नहीं है किन्तु आवंटन अधिकारी ने उक्त भूमि में से रकबा 02 बीघा भूमि का आवंटन अनियमित रूप से अप्रार्थी घनश्याम के पक्ष में कर दिया है जो अवैद्य है एवं नियम विरुद्ध नियमन की श्रेणी में आता है जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 331 दिनांक 12.3.1986 से गैर खातेदारी का व नामा0 संख्या 478 दिनांक 1.11.2001 से खातेदारी अप्रार्थी घनश्याम के पक्ष में दर्ज फ़ैसल किया गया है जो अनियमित होने से निरस्तनीय है। अतः निगरानी/रैफ. प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के पक्ष में किये गये अवैद्य आवंटन के आधार पर खातेदारी प्रोदभूत वर्जित भूमियों के संबंध में उपरोक्त वर्णित नामान्तरकरणों को निरस्त किया जावे।

इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थी घनश्याम के पक्ष में किये गये उक्त आवंटन को निरस्त करवाने बाबत उक्त रैफ. दिनांक 20.2.2006 को राजस्व मण्डल को रेफर किया गया था किन्तु राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 19.1.2017 से उक्त रैफरेन्स इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में सम्वत् 2005 की जमाबन्दी या अन्य कोई तत्कालीन रिकार्ड मंगवाया जाकर उभय पक्षों को सुनकर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। प्रकरण न्यायालय हाजा में पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों की तलवी की गयी तथा सम्वत् 2005 का कोई राजस्व रिकार्ड तहसील में उपलब्ध नहीं होने के कारण सम्वत् 2009 से 2023 की खतौनी बन्दोबस्त ग्राम गंगवाडा तहसीलदार बौली से तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गयी जिसमें उक्त ख0न0 24 गै0मु0 नली दर्ज है। तत्पश्चात बहस पैरोकार राजस्व एवं वकील अप्रार्थीगण सुनीय गयी।

दौराने बहस पैरोकार राजस्व द्वारा तहसीलदार बौली की ओर प्रस्तुत रैफरेन्स के संबंध में सम्वत् 2009 से 2023 की खतौनी बन्दोबस्त एवं जमाबन्दी सम्वत्, 2017 से 2020 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि ग्राम गंगवाडा तहसील बौली की आराजी ख0न0 24 रकबा 4 बीघा 03 बिस्वा जो कि मुताबिक राजस्व अभिलेख गै.मु. तलाई के रूप में दर्ज थी जिसमें से नियमों के विपरीत 2 बीघा भूमि का आवंटन अप्रार्थी घनश्याम के पक्ष

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

में किया जाकर विधि विरुद्ध तरीके से नामान्तरकरण संख्या 331 दिनांक 12.3.1986 से गैर खातेदारी का एवं नामा0 संख्या 478 दिनांक 1.11.2001 से खातेदारी अप्रार्थी घनश्याम के पक्ष में दर्ज के पक्ष में तस्दीक कर दिया गया है जो नियम विरुद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 16 एवं वर्जित वर्ग की श्रेणी में आने के कारण इस भूमि पर कभी भी खातेदारी अधिकारी उद्भूत नहीं होते तथा यह भूमि काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 16 एवं राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम,1970 के नियम 4(1) के अन्तर्गत नियमन के योग्य नहीं है इस प्रकार विधि विरुद्ध दर्ज फैसल किये गये उक्त नामा0 निरस्त फरमाये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 द्वारा भी इस प्रकार की भूमियों के संबंध में 15.8.1947 की स्थिति बहाल करने बाबत आदेश प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के पक्ष में विधि विरुद्ध दर्ज फैसल किये गये नामा0 को निरस्त फरमाये जाने की राय के साथ रैफरेन्स मा0 राजस्व मण्डल को भिजवाये जाने बाबत निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वैसे तो अदालत मातहत द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स बिना किसी ठोस आधार एवं तथ्यों की जाँच किये बिना ही प्रस्तुत किया गया है तथा आवंटित भूमि मृतक अप्रार्थी घनश्याम एवं उसके बाद जयकुमार, रामगोपाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा सम्वत् 2005 में उक्त ख0न0 गै0मु0 नली हो ऐसा कोई दस्तावेज तहसीलदार बौली द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है। अतः तहसीलदार बौली द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर न्याय के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार बौली द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स स्वीकार किया जाकर राजस्व मण्डल को रैफर किया जाना न्यायोचित समझता हूँ। परिणाम स्वरूप रैफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह प्रकरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 82 के अन्तर्गत ग्राम गंगवाडा तहसील बौली का नामा0संख्या 331 दिनांक 12.3.1986 गैर खातेदारी का एवं नामा0 संख्या 478 दिनांक 1.11.2001 जिससे अप्रार्थी घनश्याम के पक्ष में खातेदारी हुई है। उक्त दोनो नामा0 को निरस्त करने की राय मय जमाबन्दी सम्वत् 2017 से 2020 एवं खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2009 से 2023 के साथ माननीय राजस्व मण्डल-राजस्थान-अजमेर को रैफर किया जाता है। उभयपक्षों को माननीय राजस्व मण्डल में दिनांक 22.4.2020 को उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 11.3.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

